



भारत में पंचायती राज व्यवस्था के नकारात्मक पक्ष

डॉ० सानन्द कुमार सिंह

एसो० प्र००- राजनीति विज्ञान विभाग, सतीश चन्द्र कॉलेज बलिया (उ०प्र०), भारत

देश में पंचायती राज संस्थाओं के कारण एक और जहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिला है वहाँ दूसरी ओर इस प्रणाली की कमियाँ भी पर्याप्त हैं। कठिपय दृष्टांत यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं-

1. पंचायती राज के कारण गाँवों का परम्परागत प्रेम, सौहार्द तथा भाईचारा समाप्त हो गया है। वस्तुतः इसके लिए सीधे ही पंचायती राज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है लेकिन यह भी सत्य है कि लोकसभा चुनावों में जो गाँव 40-45 प्रतिशत वोट डालता है, वह पंचायत चुनाव में 90-95 प्रतिशत वोट देता है। मूँछों की लड़ाई के रूप में लड़े जाने वाले पंचायत चुनावों के समय अधिसंख्य लोक सेवक चुनाव झूटी से बचना चाहते हैं, क्योंकि इन चुनावों में हिंसा भी खूब होती है तथा भाई-भतीजावाद से लेकर जातिवाद तक तथा राजनीतिक विद्वेषों से लेकर भ्रष्ट आचरण तक सब कुछ सरेआम सिर चढ़ कर बोलता है। संविधान, कानून तथा अनुशासन किसी कोने में दफन हो जाता है तथा एक अजीब-सा भयनुमा एवं परस्पर अविश्वास से भरा वातावरण बन जाता है। हो सकता है भारतीय जनमानस अभी लोकतंत्र में अपने नागरिक दायित्व आत्मसात नहीं कर पाया है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते पति-पत्नी एवं भाई-भाई तक एक-दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं।

2. सम्भवतः आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों की राजनीति किसी दंगल या अखाड़े से कम नहीं होती है। स्थिति यह है कि एक ग्राम पंचायत में एक साथ 'चार सरपंच' कार्य करते हैं जैसे कि-

- पदासीन सरपंच- वास्तविक जो अभी चुनाव जीत कर आया है।
- हारा हुआ सरपंच- वह व्यक्ति जो वर्तमान चुनाव में हार गया तथा उसके समर्थन पदासीन सरपंच का विरोध करना ही अपना पुनीत कर्तव्य समझते हैं।
- निर्वर्तमान सरपंच- वर्तमान पदासीन सरपंच से पूर्व कार्यरत रहा सरपंच ही हाल ही में पूर्ण हुए निर्माण कार्यों के पूर्णतः प्रमाण पत्र (सीसी), उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी), मस्टररोल तथा माप पुस्तिका (एमबी) इत्यादि कार्य करता है अतः उसका महत्व बना रहता है।
- भावी सरपंच- वह महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो भविष्य में सरपंच बनना चाहता है वह प्रत्येक कार्य में अपना महत्व जताने हेतु विरोध एवं संघर्ष का नारा देता रहता है। इस प्रकार उत्तरी भारत की ग्राम पंचायतें एवं ग्राम सभाएँ कुरुक्षेत्र का रणक्षेत्र बनी हुई हैं।

3. यद्यपि आज के पंचायती राज की ग्राम सभा संवैधानिक स्तर प्राप्त निकाय है किन्तु कटु यथार्थ यह है कि ग्राम सभा की बैठक मात्र एक औपचारिकता बनकर रह गई है। इसी अध्याय में ग्रामसभा से संबंधित एक लघु शोध अध्ययन का विवरण पृथक् से दिया जा रहा है जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ग्रामसभा के वैधानिक प्रावधानों एवं यथार्थ के मध्य समुचित तालमेल की तत्काल आवश्यकता है।

4. पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को मिलने वाले भत्ते अत्यन्त न्यून हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान को मात्र 500 रु प्रतिमाह मिलते हैं जबकि उसके घर पर प्रतिदिन 10-15 व्यक्ति अपनी समस्याएँ लेकर आते हैं। ऐसी स्थिति में सरपंच बैचारा 30-40 रु तो रोजाना चाय पर ही खर्च कर देता है। क्या उसे यह खर्च अपनी जेब से भुगतना चाहिए? दूसरी ओर उप जिला प्रमुख, उप प्रधान, उप सरपंच तथा तीनों स्तरों पर इन संस्थाओं के सदस्य जनप्रतिनिधियों को मात्र 20-30 रु बैठक भत्ता दिया जा रहा है। कटु यथार्थ यह है कि इन प्रतिनिधियों की पंचायती राज में कोई सार्थक भूमिका कहीं भी चिन्तित नहीं है। प्रश्न यह है कि घर फूँककर फोकट में हम इन प्रतिनिधियों से क्या सेवा कराना चाहते हैं?

5. पंचायती राज संस्थाएँ वित्तीय एवं प्रशासनिक संसाधनों की कमी से जूझ रही हैं। अकेले राजस्थान में ग्राम पंचायतों के विरुद्ध 99 लाख ऑडिट पैटे (आपत्तियाँ) विचाराधीन पड़े हैं। राज्य की ग्राम पंचायतों में वन विभाग के कैटल गार्ड, नाका गार्ड तथा बेलदार इत्यादि को ग्राम सेवक (पंचायत सचिव) पद पर पदस्थापित कर दिया गया है। केरल राज्य के अतिरिक्त सभी जगह ग्राम पंचायतों में सरकारी कार्मिक अत्यन्त कम हैं अथवा पूर्ण क्षमतावान नहीं हैं।

'जहाँ तक वित्तीय स्थिति का प्रश्न है। वह नितान्त शोचनीय है। विडम्बना यह है कि इस क्रम में सारे भारत में मिन्न स्थिति है। केरल में एक ग्राम पंचायत औसतन 93 लाख रु0 का बजट बनाती है, तो राजस्थान में मात्र 3 लाख रु0 के संसाधन भी नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि ग्राम पंचायतें स्थानीय स्तर पर कर एवं शुल्क आरोपित करने एवं उसे एकत्र करने में नितान्त अरुचि पूर्ण एवं भयभीत सी दिखाई देती है।'

अनुल्लिपि सेक्षक



6. 74वें संविधान के अन्तर्गत गठित जिला आयोजना समिति भी निष्क्रिय दिखाई दे रही है। केरल, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र को छोड़ शेष भारत में पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत गठित ये जिला आयोजना समितियाँ भात्र जिला स्तर पर विभागीय लक्ष्यों एवं योजनाओं का एकीकरण कर प्रस्तुत कर रही हैं। विकेन्द्रीत आयोजना की अवधारणा अभी तक विकसित नहीं हुई है। स्थानीय स्तर पर संसाधनों के सर्वेक्षण, योजना निर्माण, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन इत्यादि के क्रम में वह स्थिति नहीं है जिसकी कल्पना राजीव गांधी ने की थी।

7. सभी राज्यों में न्याय पंचायत का प्रावधान नहीं है। न्याय पंचायतों के अभाव में गाँवों में समानान्तर न्याय प्रणाली पनप रही है। ऐसा इसलिए कि प्राचीनकाल से ही पंचायतें स्थानीय स्तर पर विवादों एवं झगड़ों का निस्तारण करती आयी हैं। गाँवों में आज भी पंचायतें स्वयं को न्यायपालिका मानते हुए कानूनी या गैर-कानूनी फतवे जारी करती हैं। अव्यवस्थित प्रणाली के चलते कई बार दुविधापूर्ण स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।

8. तमिलनाडु के मदुरै जिले की पप्पापट्टी, कीरीपट्टी तथा नट्टामंगलम ग्राम पंचायतें और विरुद्धनगर जिले की कोट्टाकेचियेन्दल ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई। सन् 1996 में सर्व जातियों ने एकजुट होकर दलित जातियों को नामांकन फॉर्म तक नहीं भरने दिया। अक्टूबर, 2001 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य सरकार को विशेष सुरक्षा करके चुनाव कराने के निर्देश दिए। इस बार भी सर्व जातियों ने चुनाव नहीं होने दिए। अक्टूबर, 2002 में उप चुनाव में पुनः वही स्थितियाँ बनी रही। प्रशासन ने अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए इन चार ग्राम पंचायतों में चुनाव 9 अक्टूबर, 2003 को कराने की योजना बनायी। सार्वजनिक निर्माण मंत्री ओ० पनीरसलेवम की अध्यक्षता में तीन मंत्रियों, दो सांसदों तथा दो विधायकों से युक्त एक विशेष समिति इस कार्य हेतु गठित की गई। 18 सितम्बर को समिति ने मुद्रै जिले की पंचायतों की प्रभुत्व जाति पीरामलाई कल्लार के प्रतिनिधियों से वार्ता की। समिति ने दलित वर्गों से कोई वार्ता नहीं की। 'सामाजिक न्याय पुलिस' दलित वर्गों की रक्षा हेतु तैनात थी। चुनाव के समय मदुरै जिले की नट्टामंगलम ग्राम पंचायत तथा विरुद्धनगर जिले की कोट्टाकेचियेन्दल ग्राम पंचायत में एक भी नामांकन दरिखिल नहीं हुआ। कीरीपट्टी में अधीरमलाई नामक दलित ने सरपंच हेतु नामांकन भरा। वार्ड पंचों हेतु कोई नामांकन नहीं आया। सर्व जातियों के दबाव में अधीरमलाई ने अपना नामांकन वापिस ले लिया। पप्पापट्टी में अझगर ने सरपंच हेतु नामांकन भरा। प्रभुत्व सर्व जाति अर्थात् पीरामलाई कल्लारों ने इसका समर्थन किया। वार्ड पंचों हेतु कोई नामांकन नहीं आया। अधीरमलाई के विरुद्ध मुतान ने नामांकन प्रस्तुत किया अतः 9 अक्टूबर, 2003 को चुनाव हुए। कुल 977 वोटों में से 923 अझगर को तथा 47 वोट मुतान को प्राप्त हुए। अझगर ने निर्वाचन के बाद पदग्रहण किया तथा तत्काल त्यागपत्र दे दिया। उसने खराब स्वास्थ्य का बहाना मीडिया के सामने बताया था, किन्तु यथार्थ यह है कि इन ग्राम पंचायतों में अधिसंख्य भूमि सर्व वर्गों के पास है तथा मात्र 15 प्रतिशत जनसंख्या वाले दलित इनके खेतों में मजदूरी करते हैं। वैसे यहाँ सर्वणों एवं दलित में सामान्यतः सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं, जिसे पंचायती राज के माध्यम से दलित वर्ग भी बिगाड़ना नहीं चाहता है। मूलतः समस्या की जड़ 'आर्थिक मजबूरी' ही है।

9. आन्ध्र प्रदेश में विगत दो दशकों से कुछ ग्राम पंचायतों में सरपंच का पद नीलामी से भरे जाने की परम्परा विकसित हो चुकी है। अगस्त, 2001 में हुए चुनावों में गुण्टूर जिले की ग्राम पंचायत मुत्यालामपाडु के मतदाताओं ने नामांकन के दिन सरपंच का पद एक घनी किसान मुलगुण्डला शेखर रेडी को उनकी माँ एम० वेन्कम्मा हेतु 6 लाख 25 हजार रुपयों में नीलाम कर दिया। इस राशि से गाँव वाले एक विकास समिति से अपनी पेयजल समस्या का समाधान करेंगे। इससे पूर्व इसी ग्राम पंचायत में सन् 1989 में 1 लाख 2 हजार तथा सन् 1996 में 3 लाख 25 हजार में सरपंच पद नीलाम हुआ था। इसी जिले की नरसिंहपाडु ग्राम पंचायत में बोब्बाला रामचन्द्रन ने 4 लाख 20 हजार 11 रु में सरपंच पद खरीदा। नीलामी से सरपंच पर खरीदने वाले सरपंच को अपनी इच्छा के पंच चुनने का अधिकार दिया जाता है। सरकारी रिकॉर्ड में सब कुछ निविरोध बताना पड़ता है।

10. पंचायतीराज व्यवस्था अभी भी ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों के हितों को संरक्षित करने में पूरी तरह सफल नहीं रही है। आज भी ग्रामीण समाज में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के जीवन स्तर में कोई विषेश परिवर्तन नहीं आया है।

भारत में पंचायतीराज व्यवस्था ग्रामीण सामाजिक संरचना में महात्वाकांक्षी बदलाव तो जरूर लाया है परन्तु प्राकार्यात्मक रूप से यह दिशा विहीन कार्य किया। ग्रामीण टक्कर।

समाज में स्तरीकरण एवं जातीय व्यवस्था के कारण पंचायतीराज का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि



लोग सैद्धान्तिक रूप से एक दूसरे से तो जुड़े हैं, लेकिन भावात्मक रूप से अभी काफी दूर हैं। इसलिए यह व्यवस्था अपने सफलता के सोपानों के बाद भी विफल साबित हो रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जैन, एल०सी० : “कम्यूनिटी डेवलपमेण्ट एण्ड पंचायती इन इण्डिया” बम्बई एलाइड पब्लिशर्स, 1967, पृष्ठ संख्या- 98.
2. मालविया एच०डी० : ‘भारत में पंचायतीराज’, 1956, पृष्ठ 46, नई दिल्ली।
3. राय सुधीर कुमार : ग्रामीण सामाजिक संरचना और परिवर्तन, नीलकमल प्रकाशन, गोरखपुर 2006।
4. महिपाल : ‘पंचायतीराज अतीत, वर्तमान और भविष्य’ नई दिल्ली सारांश प्रकाशन 1996, पृष्ठ संख्या- 20
5. सिंह, एस०एस०, मिश्रा सुरेश : “लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ पंचायतीराज इन इण्डिया” नई दिल्ली, इन्टलेक्चुल पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ-3
6. खन्ना, आर०एल० : ‘पंचायतीराज इन इण्डिया’ दि इंगलिश बुक डिपो, अम्बाला कैन्ट, 1972, पृष्ठ संख्या- 25
7. चोपड़ा सरोजबाला : ‘प्राचीन मध्य व आधुनिक भारत स्थानीय शासन’, 1993, राजस्थान हिन्दी अकादमी, जयपुर, पृष्ठ-41
8. गांधी एम०के० : ‘ग्राम स्वराज’ नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1962, पृष्ठ- 67
9. बैजनाथ वर्मा : पॉवर इन विलेज इण्डिया इन कन्टेम्परेरी इण्डिया.
10. भार्गव, बी०एस० : “इमेजिंग लीडरशिप इन पंचायतीराज” सिस्टम, इन्स्टीट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनॉमिक चेंजेज बंगलौर, 1977.।
